योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) जी, हां, योजना आयोग में क्षेत्रों के पिछड़ेपन के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र की योजना और विकास और इस प्रयोजन के लिए निधियों के आवंटन का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। योजना आयोग ने स्वयं किसी क्षेत्र की पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार 1991 में एन०डी०सी० द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले में पिछड़ेपन को महत्व देते हुए संसाधनों के अन्तरण के मैकेनिज्म के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयास में सहायता दे रही है।

Employment to local persons in Tribal rural Areas of Bihar

1049. SHRI GYAN RANJAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment regarding the need for additional capital investment in the field of agriculture, so as to provide employment to local persons in tribal rural areas of Bihar;

(b) whether, as per assessment of Government, comparative figures of unemployed persons are much higher in the Jharkhand regions of Bihar;

(c) if so, what is the total investment required for the purpose; and

(d) what are the sources from where these resources would be provided?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के मानदंडों में संशोधन

1050. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के मानदंडों में संशोधन करने पर विचार कर रही है या करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संशोधन के बाद लागू होने वाले मनदंड (मानकों) का प्रारूप क्या है; और

(ग) सरकार नए मानदंडों को कब तक तैयार कर लागू करना चाहेगी और विकास के दृष्टकोण से पिछड़े किन-किन राज्यों को नए मानकों से किस-किस प्रकार का लाभ पहुंचेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) राज्य योजना हेतु सामान्य केन्द्रीय सहायता 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर राज्यों को आवंटित की जाती है। वार्षिक योजना, 1997-98 को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग और मुख्य मंत्रियों ने फार्मूले का और संशोधन करने का सुझाव दिया है तदनुसार योजना आयोग ने इस मामले पर सभी मुख्य मंत्रियों को अपने विचारित मत/टिप्पणियां भिजवाने का अनुरोध किया है। राज्यों से आयोग में टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं। सभी टिप्पणियां प्राप्त होने पर मामला विचारार्थ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

Persons below Poverty Line in Gujarat

1051. SHRI AHMED PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have identified the families/persons living below poverty line in Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the urban-rural ratio in this regard in the State; and

(d) whether poverty alleviation programmes have been launched by